

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | माघ 15, बुधवार, शाके 1947- फरवरी 04, 2026 Magha 15, Wednesday, Saka 1947- February 04, 2026 | |

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग
अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2026

संख्या प.4(28)उद्योग/1/2025 :-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रिय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किये जाने हेतु अधिसूचना एतद्वारा जारी की जाती है:-

- परियोजना विकसित करने वाले का नाम:-** राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य:-** औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर में डीएफसी कॉरिडोर के साथ 40.00 मीटर चौड़ाई में गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कॉरिडोर विकसित करने हेतु
- भूमि का विवरण:-**

| क्र.सं. | जिला | तहसील | ग्राम | अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल | स्वामित्व |
|---------|--------------|--------|---------|------------------------------------|--------------------|
| 1. | खैरथल-तिजारा | टपूकडा | सलारपुर | 4.1712 हैक्टेयर | संलग्न सूची अनुसार |

4. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य:-

- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से वार्ता करना, उनके विचार लेखबद्ध करना तथा पूर्ण प्रचार-प्रसार के पश्चात् जनसुनवाई करना। जनसुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार-विमर्श को लेखबद्ध करना।
- प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकोपार्जन पर होने वाले प्रभाव एवं उचित मुआवजे का आंकलन करना।
- प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का आंकलन करना तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करना।

- v. प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोजनार्थ है, यह सुनिश्चित करना।
- vi. प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आंकलन करना तथा उनके जीविकोपार्जन के वर्तमान साधनों का ज्ञात करना।
- vii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में अवस्थित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों यथा सड़क मार्ग, सार्वजनिक व निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाइयों, आंगनबाड़ी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मन्दिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आंकलन करना।
- viii. इस बात का समुचित निर्धारण करना कि प्रस्तावित क्षेत्र से कम क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता तथा प्रस्तावित स्थान ही प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान अधिग्रहण हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही पूर्व में अधिग्रहित कोई अन्य भूमि आसपास अनुपयोगी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।
- ix. इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समाघातों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।
- x. ग्राम सभा, भू-स्वामियों की सहमति की आवश्यकता है अथवा नहीं? - नहीं
- xi. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक अधिसूचना जारी होने की दिनांक से होगी।
- xii. उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य अधिसूचना जारी होने के 180 दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जावेगा।
- xiii. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन (Social Impact Assessment Study Report) एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (Social Impact Management Plan) तैयार कर हिन्दी भाषा में संबंधित ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसील कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। साथ ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट सुविधाजनक स्थानों पर इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी करानी होगी। संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय की सरकारी वेबसाइट, विभागों एवं एजेन्सियों की वेबसाइट पर अपलोड की जानी होगी तथा दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय) में प्रकाशित किया जाना होगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु एजेन्सी का विवरण:-
सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्प्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज (CDECS), - 0141-2294988/
133, देवी नगर, नन्नु मार्ग, सोडाला, 9950124028/9414077287
जयपुर-302019
7. भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको को उक्त भूमि अवाप्ति हेतु अधिनियम, 2013 की धारा 3(g) के अनुसार कलेक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए पदाभित किया जाता है।
अपेक्षक निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी का विवरण:-

श्री अखिल अग्रवाल, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, - 9414041306

इकाई प्रभारी, भिवाडी-द्वितीय, रीको

संलग्न:- सूची।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महिपाल कुमार,
शासन उप सचिव।

गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कॉरिडोर की स्थापना के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का
खसरावार विवरण

ग्राम सलारपुर, तहसील टपूकडा, जिला खैरथल-तिजारा

| क्र.स. | खसरा नंबर | रकबा हैक्टेयर में | किस्म | खातेदार का नाम |
|--------|-----------|----------------------|--------|---|
| 1. | 319 मिन | 0.0302 | चाही-3 | 1. ईश्वरसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 1/32 जाति- अहीर सा. देह खातेदार |
| 2. | 320 मिन | 0.4811 | चाही-3 | 2. कृष्णा पुत्र हेमकरण हिस्सा- 1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/24 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Salarpur |
| 3. | 427 मिन | 0.4600 | चाही-3 | 3. छोटी पत्नि लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 1/32 जाति- अहीर सा. देह खातेदार |
| 4. | 1715/427 | 0.0078 | चाही-3 | 4. छोटीदेवी पत्नि लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 5. नेतराम पुत्र तेजसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार |
| 5. | 429 मिन | 0.3806 | चाही-3 | 6. पूर्ण पुत्र हेमकरण हिस्सा- 1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार |
| 6. | 481 मिन | 0.4470 | जाव-3 | 7. पुरणसिंह दत्तक पुत्र शिवदयाल हिस्सा- 1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 8. बलराम पुत्र हेमकरण हिस्सा- 1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 9. मनोज कुमार पुत्र घीसाराम हिस्सा- 1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 10. विक्रम पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 1/32 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 11. सीताराम दत्तक पुत्र सोहन हिस्सा- 1/4 |

| | | | | |
|----|---------|--------|----------|---|
| | | | | जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (खसरा सं- 316, 319) BRKGB सलारपुर, हिस्सा-1/4 (खसरा सं- 316, 319 बिना रहन) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, Salarpur 12. सोनू यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 1/32 जाति- अहीर सा. देह खातेदार |
| 7. | 431 मिन | 0.0942 | चाही-3 | 1. उर्मिला पत्नि कालूराम हिस्सा- 1/36 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/36 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सलारपुर |
| 8. | 437 मिन | 0.0410 | बारानी-3 | 2. कृष्णा पुत्री मोहनलाल हिस्सा- 1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 3. छोटी पुत्री मोहनलाल हिस्सा- 1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 4. देवानन्द पुत्र मोहनलाल हिस्सा- 1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 5. दिल्लोदेवी पत्नि लालसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/12 (पूर्ण खाता) OBC टपुकडा 6. ममता पत्नि राजबीर हिस्सा- 1/36 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 7. रामगिरी पत्नि मोहनलाल हिस्सा- 1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 8. रोहताश पुत्र मोहनलाल हिस्सा- 1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/24 (पूर्ण खाता) RGB टपुकडा 9. लालसिंह पुत्र कुन्दन हिस्सा- 1/4 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टपुकडा 10. वीरसिंह पुत्र मोहनलाल हिस्सा- 1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/24 (पूर्ण खाता) RGB टपुकडा 11. श्योचन्द पुत्र कुन्दन हिस्सा- 1/4 जाति- |

| | | | | |
|-----|---------------|--------|---------------|--|
| | | | | अहीर सा. देह खातेदार 12. सरोज पत्नि युद्धवीर हिस्सा- 1/36 जाति- अहीर सा. देह खातेदार |
| 9. | 430 मिन | 0.3438 | बारानी-3 | 1. ताराचन्द पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/4 जाति- अहीर सा. देह खातेदार |
| 10. | 438 | 0.0100 | गै0मु0 चाह | राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Tapukara |
| 11. | 439 मिन | 1.1250 | बारानी-3 | 2. प्रदीपकुमार पुत्र रामकिशोर हिस्सा- 15/128 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-15/128 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा MILAKPUR GUJAR |
| 12. | 1721/439 | 0.2305 | बारानी-3 | 3. प्रमोद पुत्र रामकिशोर हिस्सा- 15/128 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-15/128 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा MILAKPUR GUJAR 4. भानवती पुत्री गोरधन हिस्सा- 1/64 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 5. राजबीर यादव पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/4 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Tapukara 6. रामनन्द पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/4 जाति- अहीर सा. देह खातेदार |
| 13. | 1163/1515 मिन | 0.3200 | बारानी-2 | 1. चॉदसिह पुत्र रामकंवार हिस्सा- 1/4 जाति- मेघवाल सा.देह खातेदार 2. जगदीश पुत्र रामकंवार हिस्सा- 1/4 जाति- मेघवाल सा.देह खातेदार 3. देशराज पुत्र रामकंवार हिस्सा- 1/4 जाति- मेघवाल सा.देह खातेदार 4. मनमावतीदेवी पत्नि रामकंवार हिस्सा- 1/4 जाति- मेघवाल सा.देह खातेदार |
| 14. | 1618/321 | 0.1700 | चाही-3 | 1. कृष्ण पुत्र मामनसिह हिस्सा- 1/5 जाति- अहीर सा. कमालपुर खातेदार 2. गीता पुत्री मामनसिह हिस्सा- 1/5 जाति- अहीर सा. कमालपुर खातेदार 3. घनश्याम पुत्र मामनसिह हिस्सा- 1/5 |

| | | | | |
|-----|------------------|---------------|-------|--|
| | | | | जाति- अहीर सा. कमालपुर खातेदार 4. फूलवती पुत्री मामनसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- अहीर सा. कमालपुर खातेदार 5. राकेश पुत्र मामनसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- अहीर सा. कमालपुर खातेदार |
| 15. | 1505/1170 मिन | 0.0150 | बंजड़ | लक्ष्मीदेवी पत्नि नरेशकुमार हिस्सा पूर्ण सालाहेडा . मेघवाल सा -पूर्ण जाति - खातेदार |
| 16. | 1506/1170 मिन | 0.0150 | बंजड़ | धनपति पत्नि राजाराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर साकिन माजरी तहसील कोटकासिम खातेदार |
| | कुल भूमि | 4.1712 | | |

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।